न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :–40/2024

जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया पो0 खेडी तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. कचरी पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति शंकरलाल धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2. कमलीबाई पत्नि जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
3. धीसीबाई पत्नि नंदलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
4. जमनालाल पिता गोंपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
5. देउबाई पत्नि स्व0 भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
6. देबीलाल पिता गोपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
7. नोलीबाई पत्नि स्व0 भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
8. प्रकाशचन्द्र दत्तकपुत्र कालू जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
9. बालू पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
10. भगवानी पुत्री देवालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड निवासी नाल पो0 खेडी तह0 बेगूँ
11. माधु पुत्र हीरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
12. लाभचंद पिता जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
13. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.08.2025

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी तह0 बेगूँ की निम्न कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक की संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित दर्ज है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा (हैक्टर में)
22	237	0.7100
	238	0.5300
	239	0.1700
	240	0.5300
	241	0.1700
	242	0.0200
	243	0.6800
	244	0.1400
	245	0.2400
	246	0.1400
	247	0.1100
	248	0.2500
	249	0.5300
	कीता–13	रकबा 4.2200 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित में कृर्षि आराजीयात में जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होकर जिसमें वादी का निहित हक हिस्सा 10549/126592 निहित होकर मौके पर हिस्सा एवं काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन भूमि के हिस्से एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है जिसके स्थायी समाधान हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 25.01.2024 को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

तहसील में चलकर आपसी सहमति से उक्त वादपत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को विधिवत विभाजन (बंटवाडा) कराने बाबत कहा किन्तु प्रतिवादी ने वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और विधिवत विभाजन (भूमि का बटवाडा) कराने से इंकार हो गया इसलिए वादी का यह वाद उक्त कालम संख्या 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार मौके पर कब्जा अनुसार काबिज है उस अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का हिस्सानुसार मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने के लिए वादी का यह वाद पत्र बाबत बटवाडा(विभाजन)हेतु प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 25.01.2024 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने बाबत कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण ने बटवाडा कराने से इंकार कर दिया जिससे उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं में स्थित होकर न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने व श्रवणाधिकार आप को प्राप्त होने से वादीगण का यह वाद न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि वादी न्यायालय श्रीमान निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :-

(क) कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूं के खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 कुल कीता– 13 रकबा 4.2220 हैक्टर भूमि में प्रत्येक वादी का 10549/126592 वा निहित हक हिस्सा मौके पर स्थित कब्जानुसार या हक हिस्सानुसार अच्छी सें अच्छी व बुरी से बुरी मिटस एण्ड बाउंस के आधार पर विभाजन किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विधिवत विभाजन के बाद राजस्व रेकार्ड में बटवाडा अनुसार खाता प्रथक से दर्ज किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान कराई जावें।

(ग) कि वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में मामला एक तरफा होने के पश्चात वादी जगदीश पुत्र हीरालाल धाकड के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनसे मुख्य परीक्षण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए वादी के बयान को कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी की एक तरफा पूर्ण की गई।

वादी के वादपत्र में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई जिन्होने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का हिस्सा अनुसार व कब्जाअनुसार कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन कर खाता प्रथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा बहस एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी की सम्वत 2078 का अवलोकन किया गया जिसमें वाद वर्णित कृषि आराजी में वादी का हिस्सा 10549/126592 दर्ज अंकित होना सही पाया गया है जिसका वादी राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी की कृषि आराजी संख्या 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 कुल कीता– 13 रकबा 4.2220 हैक्टर भूमि में प्रत्येक में वादी जगदीश पुत्र हीरालाल धाकड का हिस्सा 10549/126592 हक हिस्सा अनुसार तथा शेष हक हिस्सा जमाबंदी में दर्ज प्रतिवादीगण अनुसार रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर शुल्क वादी से वसूल करते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय में आगामी तारीख तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/576 दिनांक 04.07.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा खेडी पटवार हल्का तेजपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– जगदीश पति हीरालाल धाकड सा. अमरतिया देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
237 मे से	–12	बंजड	–23
238 मे से	–23	चाही3	4.28
कीता– 02	–35 हैक्टर		4.51

श्रीमति कचरी पुत्री भैरूलाल 5/333, कमली पुत्री भैरूलाल 9/333, देउवाई पति नन्दलाल 5/333, देवीलाल पिता गोपीलाल 9/333, भोलीबाई पति भंवरलाल 9/333, प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र कालू 70/333, बालूलाल पिता भंवरलाल 43/333, भगवानीबाई पुत्री देवा35/333, माधुलाल पिता हीरालाल35/333, लाभचन्द पिता जोधा 105/333 धाकड सा. अमरतिया समता पति सिद्धार्थ 8/333 पोखरना जैन सा. बेंगूं देह खातेदार रहन वदस्तुर जमावंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
237 मे से	–59	बंजड	1.09
238 मे से	–30	चाही3	5.58
239 मे से	–08	बंजड	–15
240 मे से	–19	चाही3	3.53
241 मे से	–08	बंजड	–15
243 मे से	–68	चाही3	12.65
244 मे से	–14	बंजड	–26
245 मे से	–24	बंजड	–45
246 मे से	–14	चाही3	2.60
247 मे से	–11	चाही3 जाद3	1.86
			–09
248 मे से	–25	बंजड	–47
249 मे से	–53	बंजड	–99
कीता– 12	3.33 हैक्टर		29.87

1– श्रीमति धीसीबाई पति ननदलाल धाकड सा. नाल खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
239 मे से	–09	बंजड	–17
240 मे से	–34	चाही3	6.33
241 मे से	–09	बंजड	–17
कीता– 03	0.52 हैक्टर		6.67

शामलाती

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
242	–02	आ.चा.	–

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::—40/2024

जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया पो0 खेडी तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. कचरी पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति शंकरलाल धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2. कमलीबाई पत्नि जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
3. घीसीबाई पत्नि नंदलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
4. ज्मनालाल पिता गोंपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
5. देउबाई पत्नि स्व0 भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड़ निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
6. देबीलाल पिता गोपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
7. नोलीबाई पत्नि स्व0 भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
8. प्रकाशचन्द्र दत्तकपुत्र कालू जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
9. बालू पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
10. भगवानी पुत्री देवालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड निवासी नाल पो0 खेडी तह0 बेगूँ
11. माधु पुत्र हीरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
12. लाभचंद पिता जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
13. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजंस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 18.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा खेडी पटवार हल्का तजेपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— जगदीश पति हीरालाल धाकड सा. अमरतिया देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
237 मे से	—12	बंजड	—23
238 मे से	—23	चाही3	4.28
कीता— 02	—35 हैक्टर		4.51

श्रीमति कचरी पुत्री भैरूलाल 5/333, कमली पुत्री भैरूलाल 9/333, देउबाई पति नन्दलाल 5/333, देवीलाल पिता गोपीलाल 9/333, भोलीबाई पति भंवरलाल 9/333, प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र कालू 70/333, बालूलाल पिता भंवरलाल 43/333, भगवानीबाई पुत्री देवा35/333, माधुलाल पिता हीरालाल35/333, लाभचन्द पिता जोधा 105/333 धाकड सा.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

मरतिया समता पति सिद्धार्थ 8/333 पोखरना जैन सा. वेंगूं देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म.	लगान
237 मे से	–59	बंजड	1.09
238 मे से	–30	चाही3	5.58
239 मे से	–08	बंजड	–15
240 मे से	–19	चाही3	3.53
241 मे से	–08	बंजड	–15
243 मे से	–68	चाही3	12.65
244 मे से	–14	बंजड	–26
245 मे से	–24	बंजड	–45
246 मे से	–14	चाही3	2.60
247 मे से	–11	चाही3 जाद3	1.86 –09
248 मे से	–25	बंजड	–47
249 मे से	–53	बंजड	–99
कीता– 12	3.33 हैक्टर		29.87

1– श्रीमति धीसीबाई पति ननदलाल धाकड सा. नाल खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
239 मे से	–09	बंजड	–17
240 मे से	–34	चाही3	6.33
241 मे से	–09	बंजड	–17
कीता– 03	0.52 हैक्टर		6.67

शामलाती

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
242	–02	आ.चा.	–

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूं

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 /

दिनांक ::–

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार वेगूं को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलेक्टर-
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूं
वेगूं (चित्तौड़गढ़)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :–40 / 2024

जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया पो0 खेडी तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1. कचरी पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं हाल मुकाम पति शंकरलाल धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं
2. कमलीबाई पत्नि जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
3. धीरीबाई पत्नि नंदलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
4. जमनालाल पिता गोपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
5. देउबाई पत्नि स्व0 भैरूलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूं
6. देवीलाल पिता गोपीलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
7. भोलीबाई पत्नि स्व0 भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
8. प्रकाशचन्द्र दत्तकपुत्र कालू जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
9. बालू पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
10. भगवानी पुत्री देवालाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं हा0मु0 पति कन्हैयालाल धाकड निवासी नाल पो0 खेडी तह0 बेगूं
11. माधु पुत्र हीरलाल जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
12. लाभचंद पिता जोधा जाति धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूं
13. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय, बेगूं

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 18.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा खेडी पटवार हल्का तजेपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– जगदीश पति हीरालाल धाकड सा. अमरतिया देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
237 मे से	–12	वंजड	–23
238 मे से	–23	चाही3	4.28
कीता– 02	–35 हैक्टर		4.51

श्रीमति कचरी पुत्री भैरूलाल 5 / 333, कमली पुत्री भैरूलाल 9 / 333, देउबाई पति नन्दलाल 5 / 333, देवीलाल पिता गोपीलाल 9 / 333, भोलीबाई पति भंवरलाल 9 / 333, प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र कालू 70 / 333, बालूलाल पिता भंवरलाल 43 / 333, भगवानीबाई पुत्री देवा35 / 333, माधुलाल पिता हीरालाल35 / 333, लाभचन्द पिता जोधा 105 / 333 धाकड सा.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

मरतिया समता पति सिद्धार्थ 8/333 पोखरना जैन सा. वेंगू देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
237 मे से	–59	बंजड	1.09
238 मे से	–30	चाही3	5.58
239 मे से	–08	बंजड	–15
240 मे से	–19	चाही3	3.53
241 मे से	–08	बंजड	–15
243 मे से	–68	चाही3	12.65
244 मे से	–14	बंजड	–26
245 मे से	–24	बंजड	–45
246 मे से	–14	चाही3	2.60
247 मे से	–11	चाही3 जाद3	1.86
			–09
248 मे से	–25	बंजड	–47
249 मे से	–53	बंजड	–99
कीता– 12	3.33 हैक्टर		29.87

1– श्रीमति धीसीबाई पति ननदलाल धाकड सा. नाल खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी अनुसार :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
239 मे से	–09	बंजड	–17
240 मे से	–34	चाही3	6.33
241 मे से	–09	बंजड	–17
कीता– 03	0.52 हैक्टर		6.67

शामलाती

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
242	–02	आ.चा.	–

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ दिनांक ::–

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)